संख्या–1446(1)/33–3–2014–73/2012

प्रेषक,

आर0एम0 श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2014

विषय:–**भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बी0पी0एल0 श्रेणी के सभी वृद्धजनों को एक–एक कम्बल दिये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–884/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक–एक कम्बल निःशुल्क वितरित किये जाने हेतु उक्त योजना के स्वरूप का निर्धारण किया गया है।

2– निदेशक, पंचायती राज द्वारा अपने पत्र संख्या–5/68/2014–5/26/2012, दिनांक 13 जनवरी,2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 19.03.2013 के अन्तर्गत श्री गॉधी आश्रम को कम्बल सप्लाई करने हेतु झॉसी, चित्रकूट, फैजाबाद एवं मिर्जापुर मण्डल में लगभग साढ़े पॉच लाख कम्बलों की आपूर्ति करने हेतु आवंटित किया गया था। गॉधी आश्रम द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री गॉधी आश्रम की क्षेत्रीय इकाईयों के मार्फत केवल फैजाबाद मण्डल में कम्बलों की आपूर्ति करने की व्यवस्था हो सकती है। गॉधी आश्रम द्वारा झॉसी, चित्रकूट तथा मिर्जापुर मण्डलों की कम्बल की अपूर्ति हेतु अन्य उपयुक्त व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

3– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–884/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च,2013 के प्रस्तर–7 में कम्बल आपूर्ति हेतु गॉधी आश्रम को झॉसी, चित्रकूट, मिर्जापुर एवं फैजाबाद मण्डल के जनपद आवंटित किये गये है। शासनादेश में यह भी व्यवस्था दी गयी है कि यदि गॉधी आश्रम अपने जनपदों में कम्बल की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं तो उसकी पूर्ति कम्बल की आपूर्ति के लिये अधिकृत संस्थाओं से उनके अनुपात में करायी जायेगी।

4–सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार गॉधी आश्रम को आवंटित झॉसी, चित्रकूट एवं मिर्जापुर मण्डल को संशोधित करते हुये कम्बल आपूर्ति हेतु निम्नवत् व्यवस्था की जाती है:–

(क) नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लि0, नई दिल्ली:– मिर्जापुर मण्डल व चित्रकूट जनपद

(ख) उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0, लखनऊ (यूपिका):– झॉसी मण्डल व महोबा जनपद

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, कानपुर :– हमीरपुर एवं बॉदा जनपद

6– भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के स्वरूप निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–884/33– 3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 के शेष प्रतिबंध एवं शर्ते यथावत लागू रहेंगी। उक्त आदेशों का समयबद्ध ढंग से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आर0एम0श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, उद्योग, कानपुर।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0, लखनऊ।
9– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य हथकरघा निगम, कानपुर।
10– डी0जी0एम0(मार्केटिंग), नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लि0, कोर–4, स्कोप काम्पलेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली।
11– सचिव, श्री गांधी आश्रम, खादी भवन, हजरतगंज, लखनऊ।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–145(1)/33–3–2014–73/2012

प्रेषक,

आर0एम0 श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2014

विषयः–भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बी0पी0एल0 श्रेणी के सभी वृद्धजनों को एक–एक कम्बल दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–884/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक–एक कम्बल निःशुल्क वितरित किये जाने हेतु उक्त योजना के स्वरूप का निर्धारण किया गया है।

2– निदेशक, पंचायती राज द्वारा अपने पत्र संख्या–5/68/2014–5/26/2012, दिनांक 13 जनवरी,2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 19.03.2013 के अन्तर्गत श्री गॉधी आश्रम को कम्बल सप्लाई करने हेतु झॉसी, चित्रकूट, फैजाबाद एवं मिर्जापुर मण्डल में लगभग साढ़े पॉच लाख कम्बलों की आपूर्ति करने हेतु आवंटित किया गया था। गॉधी आश्रम द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री गॉधी आश्रम की क्षेत्रीय इकाईयों के मार्फत केवल फैजाबाद मण्डल में कम्बलों की आपूर्ति करने की व्यवस्था हो सकती है। गॉधी आश्रम द्वारा झॉसी, चित्रकूट तथा मिर्जापुर मण्डलों की कम्बल की अपूर्ति हेतु अन्य उपयुक्त व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

3– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–884/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च,2013 के प्रस्तर–7 में कम्बल आपूर्ति हेतु गॉधी आश्रम को झॉसी, चित्रकूट, मिर्जापुर एवं फैजाबाद मण्डल के जनपद आवंटित किये गये है। शासनादेश में यह भी व्यवस्था दी गयी है कि यदि गॉधी आश्रम अपने जनपदों में कम्बल की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं तो उसकी पूर्ति कम्बल की आपूर्ति के लिये अधिकृत संस्थाओं से उनके अनुपात में करायी जायेगी।

4–सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार गॉधी आश्रम को आवंटित झॉसी, चित्रकूट एवं मिर्जापुर मण्डल को संशोधित करते हुये कम्बल आपूर्ति हेतु निम्नवत् व्यवस्था की जाती है:–

(क) नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लि0, नई दिल्ली:– मिर्जापुर मण्डल व चित्रकूट जनपद

(ख) उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0, लखनऊ (यूपिका):– झॉसी मण्डल व महोबा जनपद

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, कानपुर :– हमीरपुर एवं बॉदा जनपद

6– भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के स्वरूप निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–884/33– 3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 के शेष प्रतिबंध एवं शर्ते यथावत लागू रहेंगी। उक्त आदेशों का समयबद्ध ढंग से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आर0एम0श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, उद्योग, कानपुर।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0, लखनऊ।
9– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य हथकरघा निगम, कानपुर।
10– डी0जी0एम0(मार्केटिंग), नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लि0, कोर–4, स्कोप काम्पलेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली।
11– सचिव, श्री गांधी आश्रम, खादी भवन, हजरतगंज, लखनऊ।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।